Book No. :- 4 Deed No. 108

Serial No. 9336

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

M 084308

Deed No. 108

Serial No. 9336

KRISHNA KUMAR CHOUDHARY
STAMP VENDER
L. No 116/1990 R Office
Hajipur Vaishali

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, हाजीपुर

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **21/11/2013** को **Hasibur Rahman** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रू0 **5000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **1360** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **108** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **3** के पृष्ठ सं0 **26[illegible]** से **281** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **17** पृष्ठों में संधारित किया गया।

बिहार सरकार

प्रशान्त कुमार
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक– **21/11/2013**

टोकन नं0 9354 / 2013

अल–रहमान एजुकेशनल एण्ड सोसल ट्रस्ट

ट्रस्ट डीड

District Registry Office,Hajipur

Token Number 9354	Reg. Year 2013	Serial Number 9336	Deed Number 102

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee	Hasibur Rahman	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Sig.							
Trustee	Md. Tarique						
Sig. 97/94/13	मो० तारिक 21/11/13						
Identified By	Aliur Rahman						
Sig. 98/94/13	Aliur Rahman S/o Late Mavsudi 21/11/13						
Presented By	Hasibur Rahman						
Sig. 99/94/13	डॉ० हसीबुर रहमान 21/11/13						
Trustee	Bushra Perwez						
Sig. 100/94/13	Bushra Perwez 21.11.13						
Trustee	Ishtyaque Ahmad						
Sig. 101/94/13	Ishtyaque Ahmad 21.11.2013						
Trustee	Kauser Sultana						
Sig. 102/94/13	Kauser Sultana 21.11.13						

डॉ० हसीबुर रहमान
21/11/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 1719 21.11.013 1718 M 084309

KRISHNA KUMAR CHOUDHARY
STAMP VENDER
L.No 116/1990 R Office
Hajipur Vaishali

यह ट्रस्ट माह नवम्बर से संचालित किया जा रहा है जो आज दिनांक 21 माह नवम्बर सन् 2013 को ट्रस्टकर्ता डॉ0 हसीबुर रहमान, पिता स्व0 मसुदुर रहमान निवासी ग्राम भैरोपुर, पोस्ट भैरोपुर डेउढ़ी, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली, बिहार भारत के है जो ट्रस्ट के संस्थापक सह ट्रस्टी सदस्य के रूप मे जाने जायेंगे।

मैं डॉ0 हसीबुर रहमान, पिता स्व0 मसुदुर रहमान निवासी ग्राम भैरोपुर, पोस्ट भैरोपुर डेउढ़ी, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली, बिहार भारत का हूँ। इस ट्रस्ट "अल-रहमान एजुकेशनल एण्ड सोसल ट्रस्ट" के निर्माण की घोषणा तथा उसके संचालन हेतु स्थायी कोष मे 51,000 (एकावन हजार) रूपये प्रदान करता हूँ जो ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सुपूर्द कर दिया हूँ तथा इस ट्रस्ट के निस्पादन की घोषणा करता हूँ :-

डॉ० हसीबुर रहमान 21/11/13

1. ट्रस्ट का नाम :- "अल-रहमान एजुकेशनल एण्ड सोसल ट्रस्ट" के नाम से जानी जाएगी।
2. ट्रस्ट (न्यास) का पंजीकृत कार्यालय :- ट्रस्ट का निबंधित कार्यालय मोहल्ला - छोटी मड़ई, मड़ई चौक हाजीपुर, थाना हाजीपुर नगर, जिला वैशाली, बिहार भारत में अवस्थित होगी या ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सुविधा एवं सहमति अनुसार कार्यालय स्थांतरित की जा सकेगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

M 084310

KRISHNA KUMAR CHOUDHARY
STAMP VENDER
L.No 116/1990 R Office
Hajipur Vaishali

3. ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

4. ट्रस्ट (न्यास) का गठन :- ट्रस्टियों के नाम, पूरा पता तथा पदनाम निम्न प्रकार है :-

क्र.	नाम एवं पिता/पति	पूरा पता	पदनाम
1.	डॉ0 हसीबुर रहमान पिता स्व0 मसुदुर रहमान	ग्राम - भैरोपुर, पो0 भैरोपुर डेउढ़ी, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली	"अध्यक्ष"
2.	इश्तयाक अहमद पिता स्व0 हाफिज अमीन अहमद	मोहल्ला - मिठनपुरा पो0 रमना, थाना मिठनपुरा जिला मुजफ्फरपुर	"सचिव"
3.	बुशरा परवेज पति डॉ0 हसीबुर रहमान	मोहल्ला - छोटी मड़ई मड़ई चौक, हाजीपुर, जिला वैशाली	"कोषाध्यक्ष"
4.	कौसरा सुल्ताना पति स्व0 हफिज शायक अहमद	मोहल्ला सैदपुरा पो0 रमना, थाना काजी मोहम्मदपुर जिला मुजफ्फरपुर	"न्यासी"
5.	मोहम्मद तारिक पिता स्व0 मो0 अब्बास	ग्राम सुमैरा अफजलपुर पो0 सुमैरा अफजलपुर थाना कुढ़नी जिला मुजफ्फरपुर	"न्यासी"

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

M 084311

KRISHNA KUMAR CHOUDHARY
STAMP VENDOR
L.No 116/1990 R Office
Hajipur Vaishali

ट्रस्ट के उद्देश्य :-

यह ट्रस्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं परमार्थिक कार्य तथा खेल कुद के विकास प्रचार-प्रसार एवं इसको क्रियान्वित करने के लिए गठित किया गया है तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे :-

01. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक एवं ललित कला की उन्नति के लिए संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना। भारत के विभिन्न बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा चलायी जाने वाली दूरस्त एवं पत्राचार द्वारा कोर्स चलाने हेतु शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना और कराना।

02. मानव संसाधन विकास के उद्देश्य हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, सेवा-सदन एवं जाँच केन्द्र, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय, तथा उससे संबंधित जाँच केन्द्र, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेकनिक महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बहुशिल्प महाविद्यालय एवं

अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों एवं औद्योगिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना अथवा कराना।

03. ग्रामीण विकास, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, वन एवं पर्यावरण विकास, युवा मामले एवं संस्कृति सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मामले, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम, मानवाधिकार कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इत्यादि का काम करना।

04. युवाओं मे चारित्रिक एवं व्यक्तिक दृष्टि विकसित करना। यह संस्थान गैर लाभ, गैर राजनितीक, गैर सम्प्रदायिक, गैर जातीय, गैर क्षेत्रियता मूल संगठन होगा।

05. प्राकृतिक आपदा जैसे आँधी–तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेग, महामारी इत्यादि से पीड़ित लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी प्रकार मानव निर्मित विपत्तियों जैसे हड़ताल, युद्ध, दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद अथवा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य कर सहायत प्रदान करना अथवा कराना।

06. निर्धन, गरीब एवं अनाथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन हेतु आर्थिक सहयोग देना तथा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृति, पुरस्कार, अनुदान पाठ्य सामग्री, पुस्तकों, शुल्क, पठन एवं पाठन व्यय आदि में सहयोग देकर प्रोत्साहित करना तथा ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अथवा पाठ्य सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करना अथवा कराना।

07. ग्रामीण युवाओं/युवतिओं को समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मानव समाज को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।

08. शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु आवासीय शिक्षा/अनवासीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना/संचालन करना तथा बच्चों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारिरीक विकास हेतु पाठशाला अध्ययन केन्द्र, व्यायामशाला, पार्क, बाग आदि बनाना।

09. समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान एवं शहरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं, एजेन्सियों, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंकों से दान-अनुदान, ऋण एवं तकनिकी सहायता प्राप्त करना।

10. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन तथा साक्षरता दर को बढ़ाने में सरकार को सहयोग प्रदान करना।

11. महिलाओं, बच्चों, विकलागों, वृद्धों, युवकों एवं युवतियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाना।

12. अत्यंत निर्धन, अनाथ एवं निःशक्त व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना या कराना।

13. एड्स मधुमेह, यक्ष्मा एवं कैंसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन करना एवं उसके रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार का कार्य करना।

14. ट्रस्ट हेतु समय-समय पर चल एवं अचल संपत्ति को प्राप्त करना, क्रय करना, निर्माण-पुनिर्माण करना, जीर्णोद्धार करना, सुधार करना, विकास करना, किराये पर लेना एवं देना, बिक्रय करना, ऐसी कार्यवाही जो ट्रस्ट के हित में हो तथा जिससे ट्रस्ट को आर्थिक आय हो तथा जिससे ट्रस्ट के उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग प्राप्त हो।

डॉ० हमीदुर रहमान 21/11/13

15. अन्य वो सभी समकालिक कार्य एवं उद्देश्य जो समाज के हित एवं विकास हेतु आवश्यक हो ट्रस्ट उद्देश्य के रूप में शामिल एवं स्वीकार्य होगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन एवं नियमनः-

01. **ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या :-**

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ट्रस्टियों की संख्या 5 (पाँच) रहेगी। उक्त पाँच ट्रस्टियों में से कुल 3 (तीन), अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता, सचिव-सह-न्यासी एवं कोषाध्यक्ष-सह-न्यासी तथा 2 (दो) न्यासी ट्रस्टी रहेंगे। उक्त घोषणा पत्र में घोषित अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता इस ट्रस्ट के आजीवन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बने रहेंगे, तथा वे जब तक स्वयं लिखित त्यागपत्र न दे देंगे, अथवा शारीरीक, मानसिक रूप से या कानूनी तौर पर अयोग्य घोषित न हो जाये तब तक आजीवन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बने रहेंगे। शेष न्यासी ट्रस्टी का चुनाव समय-समय पर ट्रस्टियों के बहुमत के आधार पर किया जाता रहेगा।

02. **ट्रस्टी बनने की योग्यता :-**

इस ट्रस्ट के उद्देश्य के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखनेवाला समर्पित सेवा मापी व्यक्ति पुरूष हो या महिला हो, ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जा सकेगा किन्तु उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष (इक्कीस वर्ष) व्यस्क होना आवश्यक है।

03. **नामांकन :-**

अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी नामांकित कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहे तो अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता पत्नि श्रीमती बुशरा परवेज उत्तराधिकारी मानी जायेंगी। यदि यह किन्हीं परिस्थितियों में संभव न हो सका तो उक्त पद पर न्यास के ट्रस्टियों द्वारा सर्वानुमति के निर्णय से रिक्त पद पर ट्रस्टी की नियुक्ति की जायेगी।

04. **ट्रस्टी को पदच्युत करने की प्रक्रिया :-**

यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के प्रतिकुल कार्य करता है, या ऐसा कार्य करता हो जिससे ट्रस्ट की संपत्ति या प्रतिष्ठा को

किसी प्रकार की हानि हो रही हो अथवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से ट्रस्टी के कार्य करने के आयोग्य हो अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन जो व्यक्ति ट्रस्टी बनने योग्य नही रह गया हो तो आजीवन ट्रस्टियों के बहुमत से सफाई का मौका देकर ऐसे ट्रस्टी को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से निकाला जा सकेगा।

05. **<u>ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>**

ट्रस्ट की उपार्जित समस्त चल एवं अचल संपत्तियों ट्रस्ट के नाम से रहेगी, किन्तु उपरोक्त संपत्तियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट के हित में उपयोग करने, बिक्रय करने, खरीदने, हस्तांतरित करने, किराये पर देने अथवा लेने का अधिकार रहेगा।
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट के हित में विभिन्न व्यक्तियों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थाओं आदि से नगद अथवा वस्तुओं के रूप में अथवा अन्य प्रकार से स्वैच्छिक दान, ग्रान्ट, सहायता, अंशदान आदि प्राप्त कर सकेंगे एवं उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय या उपयोग कर सकेंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे समस्त कार्य करने की स्वतंत्रता रहेगी, जिससे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो। इसमें ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिए समस्त प्रयास जिसमें व्यवसाय आदि भी सम्मिलित है, किन्तु उपरोक्त श्रोतों से अर्जित आय का उपयोग ट्रस्ट केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कर सकेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की विभिन्न पूंजियों चल एवं अचल संपत्ति एवं नगदी का विनियोजन निम्नलिखित संस्थाओं में करने का अधिकार रहेगाः-

क. राष्ट्रीयकृत बैंकों
ख. सरकारी प्रतिभूतियों
ग. युनिट ट्रस्ट
घ सामाजिक संस्था के ऋृण पत्र
ड. सार्वजनिक कंपनियों के अंशों में या सावधि जमा के रूप में।
च. म्यूचल फण्डस की योजनाओं में, तथा
छ. ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में कर सकेंगे जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित है।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यो के लिये किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी विभागों/संस्थाओं से ट्रस्ट की ओर से अनुबंध हस्ताक्षर कर निष्पादित करने, प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने, आलेख तैयार करने के लिए अधिकृत होंगे, किन्तु ऐसे ट्रस्टियों के नाम ट्रस्ट की बैठक में तय किये जायेंगे कि कौन ट्रस्टी किस कार्य के लिए अधिकृत रहेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य पदाधिकारियों की प्रबन्ध करने, समिति, उपसमिति का गठन करने एवं ट्रस्ट के घोषणा पत्र के अनुरूप समय-समय पर नियम, विनियम तथा उपनियम बना सकेंगे ताकि इस ट्रस्ट का प्रबंध और प्रशासन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यदि चाहे तो ट्रस्ट के कार्यो के लिए वैतनिक या अवैतनिक विभिन्न कर्मचारियों जैसे प्रभारी, सहायक, टंकक, लिपिक, रोकड़िया, लेखाकार, निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, पुजारी, सेवक इत्यादि को प्रबन्ध करने, उनके पारिश्रमीक, भत्ते एवं उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने, निलंबित करने, आदि के लिए अधिकृत होंगे।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों, बैंक, वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं, साख समितिओं से ब्याज पर अथवा बिना ब्याज पर अथवा बिना ब्याज के ऋृण ले सकेंगे एवं प्रतिभूति बतौर ट्रस्ट की किसी भी अचल संपति को गिरवी भी रख सकेंगे।

(क) **<u>अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>**

अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता संस्था का मुख्य पदाधिकारी, एकता का प्रतीक होगा और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा तथा सभी प्रकार की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार-विमर्श के लिये बैठक बुलाने एवं कार्यक्रम तय करने के लिए निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता को होगा जिसका अनुपालन ट्रस्ट में घोषित सभी न्यासियों को मानना अनिवार्य होगा।

(1) अध्यक्ष–सह–न्यासकर्ता ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे तथा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन से सम्बन्धित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों मे एक सर्वत्र अधिकारी के अधिन रहकर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(2) ट्रस्ट के किसी विषय पर विचार के लिए बैठक बुलान के लिए निर्देश देने का अधिकार अध्यक्ष–सह–न्यासकर्ता को होगा और उसके निर्देशानुसार सचिव–सह–न्यासी को बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। असामान्य स्थिति मे ट्रस्ट को आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करना। ट्रस्ट के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।

(3) ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

(4) ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का लेखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण किसी मान्य सनदी लेखाकार से कराना एवं उसकी सम्पुष्टि ट्रस्ट के बोड ऑफ ट्रस्टीज में कराना तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

(5) बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना।

(6) ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के विकास हेतु प्रतिनिधित्व करना।

(7) संस्था के कार्यक्रमों कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(ख) **<u>सचिव–सह–न्यासी के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>**

(1) सचिव–सह–न्यासी ट्रस्ट की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा अध्यक्ष–सह–न्यासकर्ता के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

(2) ट्रस्ट की ओर से संस्थापक–सह–न्यासकर्ता के निर्देश पर पत्राचार करना।

(3) बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों का सम्पादन/अनुपालन करना।

(4) सचिव–सह–न्यासी ट्रस्ट की ओर से संस्थापक–सह–न्यासकर्ता के निर्देशानुसार न्यास हित में न्यास डीड में दैनिक कार्य सम्पादित करना एवं कानूनी कारवाई का क्रियान्वयन करना।

(ग) **<u>कोषाध्यक्ष–सह–न्यासी :–</u>**

ट्रस्ट का आय व्यय, प्राप्ति, भुगतान, संपितयों, निधियों आदि के हिसाब–किताब के लिए विभिन्न लेखा पुस्तके, रसीद, वाउचर्स, रोकड़, खाता बही, नकल, अचल संपति रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर का लेखा जोखा रखना तथा उपरोक्त लेखा पुस्तकों का ट्रस्टियों द्वारा अधिकृत किसी अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराना। प्रति वर्ष का लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण पत्रक ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना।

6. **ट्रस्ट कोष का संचालन :-**

न्यास के नाम प्राप्त राशि किसी राष्ट्रीयकृत/निबंधित बैंक या डाकघर में रखा जायेगा। न्यास के खाता न्यास के अध्यक्ष-सह-न्यासी के हस्ताक्षर से खोला जायेगा। खाता का संचालन अध्यक्ष-सह-न्यासी के हस्ताक्षर से होगी तथा साथ ही साथ भविष्य में खाता संचालन में किये गये परिवर्तन की सूचना न्यास के अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता द्वारा दी जायेगी।

7. **ट्रस्ट का वित्त वर्ष :**

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त माना जायेगा।

8. **ट्रस्टियों की सभा एवं कोरम :-**

ट्रस्ट के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हेतु ट्रस्टीगण समय-समय पर बैठक का आयोजन करेंगे तथा उसमें लिये गये निर्णयों के आधार पर उन्हें क्रियान्वित करेंगे।

उपरोक्त कार्यो को वे विभिन्न ट्रस्टियों को परिपत्रों के रूप में भेजकर भी निस्पादित कर सकेंगे, किन्तु ट्रस्टियों की वर्ष में कम से कम दो (2) या प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य होगा तथा ट्रस्टियों की बैठक में कम से कम घोषित तीन आजीवन ट्रस्टियों के साथ-साथ घोषित विशेष ट्रस्टियों की संख्या का एक तिहाई के बराबर ट्रस्टी उपस्थित होने पर ही सभा का कोरम पूरा माना जायेगा। अन्यथा स्थगित करना होगा।

डॉ० हरिवंश ... 21/11/13

सामान्य बातें :-

01. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिये प्रबंध तथा प्रशासन संबंधी अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होंगे।

02. संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति समाज, समुदाय विशेष के लिए न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गो के व्यक्तियों के हितों के लिए की गयी है।

03. ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमे विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उस पर अध्यक्ष-सह-न्यासकर्ता एवं सचिव-सह-न्यासी के हस्ताक्षर होंगे।

04. ट्रस्ट की सभी कार्यवाहियों एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।

05. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यकत हुआ तो ट्रस्टियों द्वारा बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन किया जा सकेगा।

06. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि कोई बात स्पष्ट नही है या लिखने में छुट गयी हो तो उसका निर्णय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 अथवा उस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा।

07. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा।

08. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल संपति का उपयोग कोई भी ट्रस्ट अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नही कर सकेगा।

09. ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को दान देनेवालों के हितार्थ समय-समय पर ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम में ऐसी छुट प्राप्त कर सकेगा जो कि उस समय लागू हो।

10. यह ट्रस्ट अखण्डनीय है।

अतः तदानुसार आज अल्लाह की मेहरबानी से दिनांक 21.11.2013 ई0 को इस ट्रस्ट की घोषणा ट्रस्ट के संस्थापक व आजीवन ट्रस्टी ने निम्नलिखित ट्रस्टियों एवं साक्षियों की उपस्थिति में सोच-समझकर अपनी स्वेच्छा एवं परिणामों की जानकारी से इस ट्रस्ट को सर्वोपयोगी एवं उज्जवल भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर कर निष्पादन किया।

हस्ताक्षर संस्थापक

गवाह **ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर**

1. Aliur Rahman
S/o Late Maasoodur Rahman
Vill+Post - Bharopur,
P.S. - Bidupur, Hajipur
Vaishali - 844503

2. Tarique Anwer
S/o Kalim Ahmad Razon
At+PO Bhairopur
Hajipur
Vaishali

1. डॉ० हलीबुर रहमान

2. [signature]
Ishtiyaque Ahmad.

3. Bushra Perwez.

4. Kauser sultana

5. मो० तारिक

डॉ० हलीबुर रहमान 21/11/13

प्रिंटकर्ता :- [signature]

ड्राफ्टेड बाई :- [signature] 20/8 H/73 21/11/13

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 4000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 2360/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	1020	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		1020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 340

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1360

Date: 21/11/2013

Registering Officer
Hajipur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Vaishali(Hajipur) on Thursday, 21st November 2013 by Hasibur Rahman Late Masudur Rahman by profession Agriculture. Status -

डॉ० हसिबुर रहमान

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:21/11/2013**

Registering Officer
Vaishali(Hajipur)

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Aliur Rahman' age '38' Sex 'M', 'Late Maqsudur Rahman', resident of 'Bhairopur, Ps- Bidupur, Vaishali'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 21/11/2013

Registering Officer
Hajipur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Vaishali(Hajipur) in Book 4 Volume No. 3 on pages on 265 -281 , for the year 2013 and stored in CD volume No. CD-1 year 2013 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

जिला निबंधक वैशाली (हाजीपुर)

Date : 21/11/2013

Registering Officer
Hajipur

Token No. : 9354 **Year : 2013** **S.No. : 9338** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 108**

Hajipur